न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,नजीबाबाद, बिजनौर।

फौजदारी वाद संख्या-244/2006

सरकार बनाम निसार उर्फ निषाद उर्फ पिन्टू।

मु०अ०संख्या-479/2005

धारा-4/25 आयुध अधिनियम

थाना-नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त निसार उर्फ निषाद उर्फ पिन्टू पुत्र अजहर हसन की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते जुर्म इकबाल इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी उक्त वाद में अपना जुर्म इकबाल करता हैं। प्रार्थी की यह पहली गलती है। प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। चूंकि अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म का इकबाल स्वेच्छा से किया गया है, अतः अभियुक्त उपरोक्त को धारा-4/25 आयुध अधिनियम के तहत उसके द्वारा की गयी जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त को दण्ड के प्रश्न पर लंच बाद सुना जाएगा।

दिनांक-05.06.2026

(अरुण सिंह राठौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नजीबाबाद, बिजनौर।
UP-3716

लंच बादः-

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है, वह गरीब है। उपरोक्त मुकदमे में उसकी पहली गलती है तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। अतः कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित करने की याचना की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि चूंकि अभियुक्त अपने जुर्म का इकबाल करना चाहता है तथा अभियुक्त द्वारा भविष्य में किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त न होने का भी कथन किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के कथनानुसार उसकी पहली गलती है तथा वह गरीब है, गरीब होने के कारण उक्त वाद को चलाने में असमर्थ है तथा अपना जुर्म इकबाल करता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की राय में अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

जुर्म इकबाल के आधार पर अभियुक्त निसार उर्फ निषाद उर्फ पिन्टू पुत्र अजहर हसन को धारा–4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्त द्वारा कुल मुबलिक अंकन 1,000/–(एक हजार रुपये) रुपये अर्थदण्ड, जेल में बितायी गयी अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-05.06.2026

(अरुण सिंह राठौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नजीबाबाद, बिजनौर।
UP-3716